



नेहरू युवा केन्द्र संगठन Nehru Yuva Kendra Sangathan

स्वायत्तशासी संस्था
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
भारत सरकार

*an Autonomous Body under the
Ministry of Youth Affairs & Sports
Government of India*

पत्रांक: नेयुकेसं/कोर कार्य:-स्वच्छता ही सेवा/2024/41

दिनांक 24 सितम्बर, 2024

सेवा में,

समस्त राज्य निदेशक
नेहरू युवा केन्द्र संगठन

विषय: स्वच्छता ही सेवा (स्वच्छ भारत मिशन-नया संकल्प) अभियान के लिए वस्तुओं की खरीदारी हेतु धन के वितरण के संबंध में।

महोदय/महोदया,

दिनांक 17 सितंबर, 2024 से दिनांक 2 अक्टूबर, 2024 तक स्वच्छता ही सेवा अभियान के आयोजन के बारे में जारी पत्र दिनांक 16 सितंबर, 2024 का संदर्भ ग्रहण करें।

- उपर्युक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से, यह बताया गया कि "स्वच्छता ही सेवा" अभियान में भाग लेने वाले स्वयंसेवकों को My Bharat logo किट (अच्छा कैप, पेन और नोटबुक) 250 रुपये प्रति स्वयंसेवक की दर से प्रदान की जाएगी। इस संबंध में वस्तुओं का डिजाइन पहले ही क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ साझा किया जा चुका है।
- इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय कार्यालयों से गूगल शीट के माध्यम से किट्स की जिलावार आवश्यकता मांगी गई थी।
- इस संदर्भ में, क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत किट्स की संख्या, जिलावार आवश्यकता के अनुसार, प्रति स्वयंसेवक 250/- रुपये की राशि जिला कार्यालयों को भेजी जा रही है। इस राशि का उपयोग कार्यक्रम में भाग लेने वाले स्वयंसेवकों के लिए माई भारत ब्रांडेड कैप्स, नोटबुक्स और पेन खरीदने के लिए किया जाएगा। जिलावार रिलीज पैटर्न (क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त आवश्यकता के आधार पर) सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए अनुलग्नक - 1 के रूप में संलग्न है।
- इस संबंध में उपनिदेशक और जिला युवा अधिकारी गुणवत्तापरक वस्तुओं की तत्काल खरीद सुनिश्चित करें और इन वस्तुओं का अभियान में भाग लेने वाले स्वयंसेवकों के बीच वितरित किया जाना सुनिश्चित करें।
- वस्तुओं की खरीद के दौरान, सामान्य वित्तीय नियमों (GFR) में उल्लेखित स्थापित नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करना आवश्यक है। खरीद से लेकर प्रतिभागियों को वस्तुओं के वितरण तक सभी चरणों में वित्तीय जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

क्रमशः पृष्ठ-2

7. यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि MY Bharat वस्तुओं की खरीद पर व्यय को वर्ष 2024-25 के लिए कोर कार्यक्रम के तहत स्वच्छता ही सेवा अभियान के आयोजन के लिए जारी किए गए 30,000/- रुपये के बजट से अलग रखा जाएगा।
8. केंद्र में कार्यालय रिकॉर्ड और निरीक्षण के लिए वस्तुओं और लाभार्थी या प्रतिभागियों का एक कागजी परीक्षण रिकॉर्ड रखा जाएगा। अभियान के तहत वस्तुओं प्रदान किए गए प्रतिभागियों का विवरण संलग्न प्रोफार्मा (अनुलग्नक-2) में कार्यक्रम अनुभाग को साझा किया जाना चाहिए।
9. संबंधित राज्य निदेशक का यह उत्तरदायित्व होगा कि उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत प्रत्येक उप निदेशक और जिला युवा अधिकारी उचित प्रक्रिया का पालन करें और गुणवत्तापरक सामग्री की खरीद सुनिश्चित करें।

शुभकामनाओं सहित,



आर. एन. त्यागी
संयुक्त निदेशक (कार्यक्रम)

प्रतिलिपि:

- निजी सचिव, महानिदेशक, ने.यु.के.सं., नई दिल्ली
- समस्त क्षेत्रीय निदेशकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु